प्रेस नोट - 06.02.204

बाबा ब्रहमदेव एवं हनुमान मंदिर में मूर्ति क्षतिग्रस्त करने वाले अभियुक्त को इटावा पुलिस द्वारा घटना मे प्रयुक्त कुल्हाड़ी सहित किया गया गिरफ्तार।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में थाना भरथना पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 06.02.2024 को वादी रामस्वरूप दुबे निवासी ग्राम गोपियागंज,भरथना, इटावा द्वारा थाना भरथना पर तहरीर दी गई कि आज सुबह 04.00 बजे राजू बाबा पुत्र असर्फी पंडित निवासी ग्राम पुरावली थाना बकेवर ने उसके पूर्वजो द्वारा बनाये गये बाबा ब्रहमदेव एवं हनुमान जी के मंदिर की मूर्तियों को खंडित कर अपवित्र कर दिया है। तहरीर के आधार पर थाना भरथना पर मु0अ0सं0 32/2024 धारा 295 भादवि पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण –

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम मे आज दिनांक 06.02.2024 को थाना भरथना पुलिस थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग की जा रही थी। इसी दौरान प्राप्त आपराधिक अभिसूचना के आधार पर मुदकमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त राजू बाबा पुत्र असर्फी पंडित जोशी को घटना में प्रयुक्त कुल्हाडी सहित ब्रहमदेव एवं हनुमान मंदिर के पास से समय 13.20 बजे गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

राजू बाबा पुत्र असर्फी पंडित जोशी निवासी ग्राम पुरावली महेवा थाना बकेवर जनपद इटावा उम्र 55 वर्ष

पंजीकृत अभियोग –

मु0अ0सं0 32/24 धारा 295 भादवि थाना भरथना जनपद इटावा।

बरामदगी –

1.01 कुल्हाड़ी

पुलिस टीम-

निरी0 श्री देवेन्द्र सिंह प्रभारी थाना भरथना, उ0नि0 राजेन्द्र सिंह, हे0का0 राजेन्द्र सिंह।